न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
06 / 2025 / वाद पत्र	2025 / 10	07.05.2025	06.10.2025

उनवान

महेन्द्र पिता उगमा मीणा निवासी मीणों की कोटडी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1– कमलेश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कैलाश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– भूरीदेवी पत्नी चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मगला पिता भूरा भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– माया पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामप्रसाद पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लाली उर्फ राजूडी पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द्र सुवालका : अभिभाषक वादी

वाद पत्र : वास्ते बंटवाड़ा आराजियात व किये जाने घोषणा खातदेरी व स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–
वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 159 रकबा 02.21 है0 ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बीलिया तहसील शाहपुरा में स्थित है। वादी की इस आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित है उसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा होकर उसी अनुसार काबिज काश्त है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 07 का 1/18 हिस्सा निहित है। आराजियात का संयुक्त होने से बंटवाड़ा नहीं होने से आये दिन केसीसी व फसल बुवाई व जमीन की उर्वरक शक्ति बढाने में आये दिन प्रतिवादीगण से विवाद होता रहता है। इसलिये उक्त आराजियात का बटवाड़ा मीट्स एण्ड बाण्ड्स से किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी अनुसार बंटवाडा हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसीलिए वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र के पेरा सं. 01 में वर्णित आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बटवाडा किये जावे व बटवाडा स्कीम कराई जावे व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम अंकन कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्र्टड ए.डी. सम्मन नोटिस भिजवाये जाकर तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल के संबंध में अभिभाषक वादी द्वारा डिलवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिन्हें रेकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को मंजूर किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का अनुरोध किया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा(राज.)

बहस पर मनन एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2073 से 2077 ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बीलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 176 आराजी नम्बर 159 रकबा 02.21 है0 में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 07 का 1/18 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बीलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 176 आराजी नम्बर 159 रकबा 02.21 है0 का वादी के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 07 के 1/18 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा निर्देशित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

AnyScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

महेन्द्र पिता उगमा मीणा निवासी मीणों की कोटड़ी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1– कमलेश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कैलाश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– भूरीदेवी पत्नी चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मंगला पिता भूरा भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– माया पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामप्रसाद पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लाली उर्फ राजूडी पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वाद पत्र बंटवाड़ा आराजियात व किये जाने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 6/20225 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बीलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 176 आराजी नम्बर 159 रकबा 02.21 है0 का वादी के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 07 के 1/18 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा निर्देशित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी होकर पालनार्थ डिक्री पर्चा प्रेषित किया जावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 6 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा

AnyScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1– महेन्द्र पिता उगमा मीणा निवासी मीणों की कोटड़ी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1– कमलेश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2– केलाश पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– भूरी देवी पत्नी चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4– मगला पिता भूरा भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– माया पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामप्रसाद पिता चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लाली उर्फ राजूड़ी पुत्री चूना भील निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा आराजियात व किये जाने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 06 सन् 2025 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा वाके ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजियात 159 रकबा 02.2100 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है –

1– वादी महेन्द्र पुत्र उगमा मीणा सा. मीणों की कोटड़ी तहसील शाहपुरा खातेदार के नाम दर्ज की जावे–

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	159/1	0.6933 है0	बारानी ।।।	2.0799
	कुल किता – 01	0.6933 है0	–	2.0799

2– प्रतिवादीगण भूरी देवी पत्नी चूना 1/12 कमलेश 1/12 कैलाश 1/12 रामप्रसाद 1/12 पुत्र चूना माया 1/12 लाली उर्फ राजूड़ी 1/12 पुत्री चूना मंगला पुत्र भूरा 1/2 भील सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा हिस्सा सभी का के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	159/2	0.8281 है0	बारानी ।।।	2.4843
2.	159/4	0.5586 है0	बारानी ।।।	1.6758
10.	कुल किता – 02	1.3867 है0	–	4.1601

3– वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाति दर्ज की जावे – भूरी देवी पत्नी चूना 1/18 कमलेश 1/18 कैलाश 1/18 रामप्रसाद 1/18 पुत्र चूना माया 1/18 लाली उर्फ राजूड़ी 1/18 पुत्री चूना मंगला पुत्र भूरा 1/3 भील सा.देह महेन्द्र पुत्र उगमा 1/3 मीणा सा0 मीणों की कोटड़ी तहसील शाहपुरा खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा हिस्सा भूरी, कमलेश, कैलाश, रामप्रसाद, माया, लाली उर्फ राजूड़ी, मंगला का

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

AnyScanner

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	159/3	0.1300 है0	गे.मु. रास्ता	–
	कुल किता – 1	0.1300	–	–

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज, नक्शें मे तरमीम की कार्यवाही करें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 06 माह 01 सन् 2026** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा